फर्द अहकाम

फूलचन्द वगैरह बनाम सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

संख्या 145/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
19/12/24	पत्रावली पेश हुई । पी.ओ. अवकाश पर है। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी / जवाब दिनांक 26/12/24 को पेश हो। [illegible]	
26/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. वकील वादी ने श्री बलदेवराम पुत्र भानाराम, बाबूलाल पुत्र भानाराम व फूलचन्द पुत्र भानाराम जाति मीणा नि. [illegible] को साक्षी वादी के रूप में पृथक-पृथक शपथ पत्र पेश किया। जिन्हें शामिल किया गया। वकील वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 02/01/25 को पेश हो। [illegible] उपखण्ड अधिकारी [illegible]	
02/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली के आदेश से विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस को मनन किया गया। अतः वादीगणों का	

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय फूलचन्द आदि बनाम सरकार
उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 145/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	वि
		वाद अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है। नकल विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जा कर शामिल मिसल किया जावे। निर्णय आज सुनाकर उद्घोषित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नायब सं. क्रम को नकल बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

(4)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
145/2022	29/11/2022	02/01/2025

1. फूलचन्द पुत्र कानाराम
2. बाबूलाल पुत्र कानाराम
3. बल्लूराम पुत्र कानाराम

जातियान मीणा निवासी नटाटा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभावक
श्री महेश शर्मा :– वकील वादीगण।

दावा घोषणा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट

सपठित धारा 136 राज0भू0राजस्व अधि0

–: निर्णय:–

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेश शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम नटाटा, पटवार हल्का नटाटा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 22 रकबा 0.2100है0 अनुसार स्थित है। खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के हित में कालू, फूल्या, बाबू पि0 रामकुंवार अनुसार हिस्सा 1/12–1/12 दर्ज चली आ रही है। जिसके एकमात्र मालिक, स्वामी, अधिकारी तथा काबिजदार वादीगण बतौर खातेदार चले आ रहे है, जिनमें वादीगण के उस हिस्से अनुसार भूमि से अन्य किसी व्यक्ति का किसी प्रकारका कोई हक व संबंध नही है। वादीगण के पिता का नाम कानाराम है एवं वादीगण के चाचा का नाम रामकुंवार है। जिसमे वादीगण के चाचा रामकुंवार के ना0ओ0फोत होने पर वादीगण के खातेदारी इन्द्राज करने पर वादीगण का नाम बल्लूराम के स्थान पर कालू एवं फूलचन्द के स्थान पर फुल्या तथा बाबूलाल के स्थान पर बाबू अंकित करते हुए वादीगण के पिता कानाराम के स्थान पर रामकुंवार अंकित कर दिया गया। जिसके वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड में वादीगण का इन्द्राज खातेदारी त्रुटिपूर्ण है। उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में खातेदार वादी सं0 1 का राजस्व इन्द्राज फूलचन्द पुत्र कानाराम के स्थान फुल्या पुत्र रामकुंवार एवं वादी सं0 2 का राजस्व इन्द्राज बाबूलाल पुत्र कानाराम के स्थान पर बाबू पुत्र रामकुंवार तथा वादी सं0 3 बल्लूराम पुत्र कानाराम के स्थान पर कालू पुत्र रामकुंवार राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से भूलवश गलत अंकित कर दिया। जबकि वादीगण का सही दस्तावेजी नाम फूलचन्द, बाबूलाल, बल्लूराम पुत्रान कानाराम अंकित करते हुये जमाबन्दी बनायी जानी चाहिए थी। अतः राजस्व रिकार्ड में वादीगण के त्रुटिपूर्ण राजस्व इन्द्राज कालू पुत्र रामकुंवार के स्थान पर बल्लूराम पुत्र कानाराम एवं फुल्या पुत्र रामकुवार के स्थान पर फूलचन्द पुत्र कानाराम तथा बाबू पुत्र रामकुंवार के स्थान पर बाबूलाल पुत्र कानाराम अंकित करने के आदेश दिया जावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीं को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/रीडर/136/2024/226 दिनांक 12.04.2024 को रिपोर्ट/जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 22 रकबा 0.1है0 किस्म चाही मुताबिक रिकार्ड कालू पुत्र रामकुंवार हि0 1/12, फुल्या पुत्र रामकुंवार हि0 1/12, बाबू पुत्र रामकुंवार हि0 1/12 हिस्सा हैं। वादीगण के बताया अनुसार उक्त भूमियों का विरासत का नामान्तरण खोलते समय काना की विरासत से रामचन्द्र पुत्र काना एवं रामकुंवार की विरासत से बल्लू, फुल्या, बाबु पुत्र काना एवं रामकुंवार दर्ज हो गया था। जो आज दिनांक तक चला आ रहा है। वादीगण द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों में फूलचन्द पुत्र कानाराम, बाबुलाल पुत्र कानाराम, बल्लूराम पुत्र कानाराम दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित बिन्दूओं दौहराते हुऐ साक्ष्य के रूप में बल्लूराम पुत्र कानाराम, बाबूलाल पुत्र कानाराम, फूलचन्द पुत्र कानाराम का पृथक–पृथक शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में वादीगण के त्रुटिपूर्ण राजस्व इन्द्राज कालू पुत्र रामकुंवार के स्थान पर बल्लूराम पुत्र कानाराम एवं फुल्या पुत्र रामकुवार के स्थान पर फूलचन्द पुत्र कानाराम तथा बाबू पुत्र रामकुंवार के स्थान पर बाबूलाल पुत्र कानाराम अंकित करने के आदेश दिया जावें। वकील वादीगण व पैरोकार सरकार की बहस सुनीं

अतः वकील वादी की बहस सुनने, पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र, पैरोकार सरकार की रिपोर्ट, साक्ष्य शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधि0 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम नटाटा, पटवार हल्का नटाटा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 22 रकबा 0.2100है0 में वादीगण का नाम कालू पुत्र रामकुंवार के स्थान पर बल्लूराम पुत्र कानाराम एवं फुल्या पुत्र रामकुवार के स्थान पर फूलचन्द पुत्र कानाराम तथा बाबू पुत्र रामकुंवार के स्थान पर बाबूलाल पुत्र कानाराम घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 02.01.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ